भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 402
दिनांक 22 जुलाई, 2025/ 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नासिक हवाई अड्डे पर आव्रजन जांच चौकी

†402. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) द्वारा आवश्यक निरीक्षण और पुष्टि के पश्चात् नासिक (ओझर) हवाई अड्डे पर आव्रजन जांच चौकी स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या बीओआई द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय आगमन और प्रस्थान, सीमा शुल्क कार्यालयों और आव्रजन काउंटरों से संबंधित अवसंरचना निर्धारित मानकों के अनुरूप है;

(ग) क्या सरकार का प्रशिक्षित आव्रजन कर्मियों और प्रणाली की तैनाती सहित शेष प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण कर इस सुविधा को चालू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा आगामी सिंहस्थ कुम्भ मेले के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए व्यवस्था बनाने हेतु कब तक कार्यशील कर दी जाएगी; और

(ङ) इस जांच चौकी के सुचारू संचालन और नासिक में क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बहु-मंत्रालयीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ) : जी, हाँ, अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद, आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) ने अनुशंसा की है कि नासिक (ओझर) हवाई अड्डे पर आव्रजन मंजूरी के लिए उपलब्ध क्षेत्र

पूर्ण अंतरराष्ट्रीय नियमित यात्री उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। यह केवल कार्गो/चार्टर्ड उड़ानों के चालक दल और यात्रियों के लिए ही पर्याप्त है। भारतीय उड़ान संचालकों के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानों को सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और आव्रजन प्रणालियाँ मौजूद हैं तथा बीओआई द्वारा नासिक (ओझ ṁर) हवाई अड्डे पर पहले से ही तैनात पुलिस कार्मिकों को आव्रजन जाँच करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

****